



**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1453-दो/15

जिला-अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया ।</p> <p>विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

रिजिस्ट्रार नं० 1453-II-15

प्रकरण क्रमांक

/2015 रजिस्ट्रेशन

श्री. KG. के. शर्मा  
द्वारा आज दि. 9-6-15  
परपत्र

श्री. के. के. शर्मा  
द्वारा आज दि. 9-6-15

शंकर प्रसाद पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद  
निवासी- ग्राम लोढी तहसील कोतमा,  
जिला अनूपपुर, म०प्र० — आवेदक  
/ बनाम

1. म०प्र० शासन
2. कपिल कुमार पुत्र श्री राम खिलावन  
निवासी- ग्राम लोढी तहसील कोतमा,  
जिला अनूपपुर, म०प्र०
3. रामनिहोर पुत्र श्री गंगाराम निवासी-  
ग्राम लोढी तहसील कोतमा, जिला  
अनूपपुर, म०प्र० —अनावेदकगण

म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित  
नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदनपत्र

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 3986/2013 व उनवान शंकर बनाम म०प्र० शासन आदि प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकी 29/4/2015 पारित कर अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है ।
2. यहकि, आवेदक का उक्त प्रकरण दिनांक 29/4/2015 को माननीय न्यायालय के समक्ष निगत था चरु उक्त दिनांक को